

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का सेमला व भू-अभिलेख निरीक्षक सुनेल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोटडा प्रताप तहसील सुनेल जिला झालावाड की जमाबन्दी सम्बत् 2072-2075 में खाता संख्या 42, 43 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्रम संख्या	ग्राम/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कोटडा प्रताप तहसील सुनेल	42 43	कमलाबाई	कमलाबाई उर्फ कमलेशकुंवर



क्रमांक - राजस्व/2019/

6/12/19
(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

दिनांक 17.12.19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं -

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थीया कमलेशकुंवर पुत्री परताबसिंह जाति राजपूत नि. कोटडा प्रताप को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

6/12/19
(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

